

कामकाजी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

DR. GAJENDRA KUMAR MALVIYA

ASSOCIATE PROFESSOR, SOCIOLOGY, GOVT. PG COLLEGE, JHALAWAR, RAJASTHAN

सार

भारत में कामकाजी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है, हालांकि उनके सामने कई दोहरी चुनौतियाँ भी बनी हुई हैं।

आर्थिक स्थिति (Economic Status)

- **श्रम बल भागीदारी (LFPR):** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, भारत में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) वर्ष 2017-18 के 23.3% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% हो गई है।
- **ग्रामीण बनाम शहरी क्षेत्र:** ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश महिलाएं कृषि, पशुपालन, पोल्ट्री और छोटे कुटीर उद्योगों से जुड़ी हैं। शहरी क्षेत्रों में महिलाएं कॉर्पोरेट, शिक्षा, स्वास्थ्य, छोटे व्यवसायों और सेवा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं।
- **आर्थिक स्वावलंबन:** नौकरी या स्वरोजगार से महिलाओं में आर्थिक स्वतंत्रता आई है। वे अपने परिवार की आय में सीधे तौर पर योगदान दे रही हैं और वित्तीय निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ी है।
- **वेतन असमानता और अनौपचारिक क्षेत्र:** आज भी एक बड़ा हिस्सा असंगठित (informal) क्षेत्र में काम करता है, जहां पुरुषों की तुलना में कम वेतन, असुरक्षित कार्यस्थल और सामाजिक सुरक्षा (जैसे पेंशन, मातृत्व लाभ) का अभाव देखने को मिलता है।

सामाजिक स्थिति (Social Status)

- **आत्मविश्वास और पहचान:** काम करने से महिलाओं को सामाजिक पहचान, सम्मान और व्यक्तिगत आत्मविश्वास प्राप्त हुआ है। परिवार और समाज में उनके विचारों को अधिक महत्व मिलने लगा है।
- **दोहरी जिम्मेदारी (Work-Life Balance):** कामकाजी महिलाओं पर घर संभालने, बच्चों की परवरिश और बुजुर्गों की देखभाल की मुख्य जिम्मेदारी होती है, जिससे उन्हें अत्यधिक मानसिक एवं शारीरिक दबाव (Double Burden) का सामना करना पड़ता है।
- **शिक्षा और स्वास्थ्य:** आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और उच्च शिक्षा तक पहुंच का लाभ मिलता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव उनकी अगली पीढ़ी पर भी पड़ता है।

सरकारी पहल और सुधार

- सरकार द्वारा पालना (Palna) योजना जैसी क्रेच सुविधाओं के माध्यम से कामकाजी माताओं को बच्चों की देखभाल में सहायता दी जा रही है।
- महिलाओं के कौशल विकास, मातृत्व अवकाश और सुरक्षित कार्यस्थल के लिए विभिन्न श्रम कानूनों व योजनाओं का विस्तार किया जा रहा है।

मुख्य शब्द –समाज, पितृसत्तात्मक, महिलाओं, सामाजिक, आर्थिक, रोजगार, श्रमिक कामकाजी महिलाएं, महिला सशक्तिकरण, समाज, कार्यस्थल।

परिचय

भारत में महिलाओं का इतिहास हमेशा से उतार-चढ़ाव से भरा रहा है। कुछ समय में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन कई युगों में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। भारत में महिलाओं के लिए आजीविका का काम करना चुनौतीपूर्ण होता है। नारीवादी विचारकों के अनुसार, परिवार में स्त्री और पुरुष समान होते हैं, लेकिन कार्य विभाजन में लैंगिक असमानताएँ और सामाजिक बाधाएँ होती हैं। अलग-अलग हिस्सों में महिलाओं की भागीदारी दर भिन्न है। असंगठित क्षेत्रों में महिलाएं अधिक संख्या में काम कर रही हैं। भारत की श्रमशक्ति में महिलाएं एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन वे पुरुषों की तुलना में रोजगार और गुणवत्ता के मामले में पीछे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, महिला श्रमिकों की संख्या कुल महिलाओं का 25.6 प्रतिशत है। अधिकांश महिला श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, जहां 87 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं। शहरी क्षेत्रों में, महिलाएं घरेलू उद्योग, छोटे व्यवसाय और भवन निर्माण जैसे काम कर रही हैं। सरकार की नीतियों का मुख्य उद्देश्य महिला श्रमिकों की समस्याओं को दूर करना, वेतन और कार्य स्थिति में सुधार लाना, और उन्हें बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना है।[1,2]

भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। एक ओर तो कामकाजी महिलाएं हमारे देश में कार्यबल और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, वहीं दूसरी ओर वे व्यक्तिगत, पारिवारिक और राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी अपना योगदान दे रही हैं। यह भी सच है कि मध्यम आय वर्ग के परिवारों की कामकाजी महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। माता-पिता और ससुराल वालों की अपनी कामकाजी बहू से बहुत अपेक्षाएं होती हैं। कामकाजी महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप सामाजिक-आर्थिक संरचना और उपलब्ध सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है। पुरुष प्रधान बॉस के अधीन काम करने वाली कामकाजी महिला की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनकी विनम्रता और शिष्टाचार को गलत समझा जा सकता है और यदि वे संकोची हैं, तो उन्हें अहंकारी, अंतर्मुखी और असामाजिक माना जाता है। पुरुष सहकर्मियों के साथ काम करना भी तनावपूर्ण हो सकता है। कभी-कभी उन्हें घमंडी कहा जाता है, तो कभी-कभी उन्हें चंचल। अनादि काल से महिलाओं को शक्ति और ज्ञान का स्रोत माना जाता रहा है। शिक्षित और कामकाजी महिलाएं समाज के समक्ष अनुकरणीय सामाजिक आदर्श प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो अंततः उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और साथ ही विवाह संबंधी उनके विचारों, परिवर्तन के प्रति उनके दृष्टिकोण, सामाजिक

मूल्यों और स्थापित संस्थाओं के स्वरूप को प्रभावित कर सकते हैं। ये आदर्श समाज के सामाजिक परिवर्तन और रूपांतरण को उचित दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य कामकाजी परिस्थितियों, कार्य संतुष्टि और महिलाओं के काम का उनके परिवार, समायोजन और सामाजिक-आर्थिक स्थिति में होने वाले परिवर्तनों, जिनमें जीवन स्तर भी शामिल है, पर पड़ने वाले प्रभाव को समझना है। यह अध्ययन देहरादून स्थित ओएनजीसी लिमिटेड की महिला कर्मचारियों पर किया गया है। संक्षेप में, अध्ययन के विभिन्न उद्देश्यों को निम्नलिखित रूप में सारांशित किया जा सकता है: 1.

ओएनजीसी की कामकाजी महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करना। 2. यह पता लगाना कि क्या ये कामकाजी महिलाएं अपनी नौकरी, वेतन, कामकाजी परिस्थितियों, भत्तों और अन्य उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट हैं। 3. यह पता लगाना कि क्या उनके साथ महिला होने के कारण भेदभाव किया जाता है। 4. कामकाजी महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसका पता लगाना। 5. संगठन की प्रगति में इन कामकाजी महिलाओं के योगदान का अध्ययन करना। 6. कामकाजी महिलाओं के परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं का उन पर, आर्थिक स्थिति, सम्मान, दृष्टिकोण और सोच के संदर्भ में, क्या प्रभाव पड़ता है, इसका पता लगाना। 7. सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के संदर्भ में कामकाजी महिलाओं की भूमिका में आए बदलावों का पता लगाना, विशेष रूप से उनके अधिकारों और संबंधित कर्तव्यों के प्रति जागरूकता के संदर्भ में। यह अध्ययन ONGC की 374 महिला कर्मचारियों तक सीमित है, जिनमें से 125 प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, 187 तृतीय श्रेणी और 41 चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी हैं। इस शोध कार्य में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार, प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में कार्यरत 333 महिलाओं को अध्ययन के दायरे में लिया गया है। व्यावहारिक रूप से, प्रत्येक तीसरे उत्तरदाता को नमूने के लिए चुना गया है, अर्थात् प्रथम श्रेणी से 38 उत्तरदाता, द्वितीय श्रेणी से 11 उत्तरदाता और तृतीय श्रेणी से 51 उत्तरदाता। इस प्रकार, 333 कामकाजी महिलाओं में से कुल 100 महिलाओं का चयन किया गया है। अध्ययन के लिए एकत्रित डेटा दो श्रेणियों में विभाजित है - प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक डेटा का मुख्य स्रोत स्व-प्रशासित प्रश्नावली थी, जिसे उत्तरदाताओं के बीच वितरित किया गया था। कई कामकाजी महिलाओं के साथ व्यक्तिगत चर्चा भी की गई। द्वितीयक डेटा में प्रकाशित और अप्रकाशित सामग्री शामिल थी, जो पुस्तकों, रिपोर्टों, पत्रिकाओं और आवधिक प्रकाशनों के रूप में महिलाओं, विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं से संबंधित थी। जिन बिंदुओं पर जानकारी एकत्र की गई उनमें पारिवारिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उत्तरदाताओं की भूमिका, उन्हें प्राप्त स्वतंत्रता, नौकरी से संतुष्टि, लैंगिक समानता, घरेलू समायोजन आदि शामिल थे। इसके अलावा, आयु, शिक्षा, पारिवारिक स्थिति और आय जैसे सामाजिक-आर्थिक आंकड़े भी एकत्र किए गए। आंकड़ों के विश्लेषण में प्रतिशत, औसत और सहसंबंध निकाले गए हैं और उन्हें संबंधित स्थानों पर प्रस्तुत किया गया है। ONGC में अधिकांश कामकाजी महिलाएं कार्य परिस्थितियों से संतुष्ट हैं। [3,4] उन्हें अवकाश, वेतन, भत्ते जैसी विभिन्न सुविधाएं प्राप्त हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उनकी भागीदारी है। अधिकांश महिलाएं खुले विचारों वाली, तर्कसंगत और आत्मसंतुष्ट हैं। ONGC में उनकी शिक्षा और योग्यता के अनुपात में पदोन्नति के कई अवसर उपलब्ध हैं। कामकाजी महिलाओं की आय का उनके परिवार की आय में वृद्धि पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे उनके जीवन स्तर और परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ONGC में कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हैं। ONGC में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। कामकाजी महिलाओं को उनके सहकर्मियों के साथ-साथ

उनके परिवार के सदस्यों से भी उचित सम्मान और आदर प्राप्त होता है। इससे उनका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का स्तर स्पष्ट रूप से बढ़ता है। कामकाजी महिलाएं संयमित हैं और विवाह एवं संयुक्त परिवार को प्राथमिकता देती हैं। परिवार नियोजन और पुत्र एवं पुत्री के समान व्यवहार के प्रति उनका दृष्टिकोण सराहनीय है। यह भी पाया गया है कि रिश्तेदारों, पड़ोसियों और मित्रों के साथ उनके संबंध काफी सामान्य हैं। वे न तो जातिगत भेदभाव से प्रभावित होती हैं और न ही धर्म से। यहां तक कि उनमें भाषा और क्षेत्रीय पूर्वाग्रह भी नहीं पाया गया। वास्तव में वे एक ही संगठन, ओएनजीसी से जुड़ी हैं। उन्हें परिसर के अंदर या बाहर समायोजन संबंधी कोई सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं है। वे इस बात से प्रसन्न हैं कि वे ओएनजीसी और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं। महिला कल्याण संघ उनके कल्याण की देखभाल कर रहे हैं। यह देखकर खुशी होती है कि रोजमर्रा के कार्य अनुभव कामकाजी महिलाओं के लिए ज्ञान के नए द्वार खोलते हैं। लेकिन यह जानकर हैरानी होती है कि ONGC में कार्यरत महिलाओं को महिला कामगारों के हितों की रक्षा के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा उपायों की पर्याप्त जानकारी नहीं है। इनमें से कुछ ही महिलाएं इन सुरक्षा उपायों से भलीभांति परिचित हैं। यह बेहतर होगा यदि ONGC के कानूनी विशेषज्ञों और कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा समय-समय पर इन सुरक्षा उपायों के बारे में इन कामकाजी महिलाओं को जागरूक किया जाए। यह भी सुझाव दिया जाता है कि मातृत्व अवकाश की अवधि बढ़ाई जाए। यह अध्ययन ONGC में काम करने के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक पहलुओं में सुधार पर प्रकाश डालने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह इस तथ्य पर बल देता है कि कामकाजी महिलाएं न केवल समाज में अपनी स्थिति और दशा में सुधार कर सकती हैं, बल्कि अपने परिवार और परिवार के सदस्यों की स्थिति में भी सुधार कर सकती हैं।[4,5]

विचार-विमर्श

कामकाजी महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है। वर्तमान महिला घरेलू छवि को तोड़कर कामकाजी महिला के रूप में पुरुषों के समक्ष प्रतिस्थापित हो रही है। विभिन्न योजनाओं के तहत किये गये सरकारी प्रयासों ने उसकी सशक्तता में सहायता दी है। प्रस्तुत शोधकार्य का उद्देश्य विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के तहत किये गये सरकारी प्रावधानों का अध्ययन करना तथा कामकाजी महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करना है। इसके लिए विभिन्न द्वितीयक स्रोतों द्वारा सामग्री का संकलन कर उनका विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि स्वतंत्रता के पश्चात् किये गये विविध सरकारी प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। परिवार की सामाजिक व आर्थिक सशक्तता का माध्यम बनकर वे स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से सशक्त हुई हैं। परम्परा से आधुनिकता की ओर संक्रमण के इस दौर में आपसी तालमेल के कुछ मानक पुरुष व महिला को मिलकर निर्धारित करने होंगे, तभी महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक सशक्तता सार्थक होगी।

देश में कुपोषण की समस्या एक ज्वलंत प्रश्न बन गई है। इसका संबंध देश में महिलाओं के कामकाजी होने से है। किसी परिवार की महिला के कामकाजी होने से पूरा एक चक्र जुड़ा हुआ है, जो उसकी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाता है। ऐसा संभव करने के लिए कुछ परिस्थितियां बनानी पड़ती हैं, और इन्हें बनाना सरकार का दायित्व है।[2,3]

कुछ बिंदु -

कुपोषण को एक महिला के काम से जोड़कर देखा जाना चाहिए। एक महिला के कामकाजी होने के लिए बच्चों की उचित देखभाल की व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने आंगनबाड़ी और क्रेच का इंतजाम किया है।

आंगनबाड़ियों के घंटों में वृद्धि की जानी चाहिए। साथ ही मोबाइल क्रेच बढ़ाए जाने चाहिए, जिससे महिलाएं बिना किसी चिंता के काम कर सकें।

आंगनबाड़ी के माध्यम से दी जाने वाली पोषण-शिक्षा, पोषण की पूर्ति के लिए दी जाने वाली गोलियां, गर्म और पोषक भोजन आदि कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत सहायक होती है।

कर्नाटक में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि इन केंद्रों में मिलने वाली सहायता से गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के पोषण-स्तर में बढ़ोतरी हुई है।

महिलाओं की शिक्षा उनके पोषण स्तर को बढ़ाने और कार्यबल में शामिल होने के लिए सकारात्मक भूमिका निभाती है। अतः उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों का पंजीकरण बढ़ाने और उन्हें रोके रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालय आने पर मध्याह्न भोजन के माध्यम से उन्हें गर्म और पोषक भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है।

मनरेगा में महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। इससे उनका जीवन स्तर बढ़ता है, और सामाजिक सशक्तिकरण होता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा भी उन्हें बराबरी का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे वे अपने परिवार और स्वयं के लिए बेहतर पोषण प्राप्त कर सकती हैं।

विभिन्न प्रयासों के अलावा ग्राम पंचायतों की अहम भूमिका होती है। भारत में लगभग ढाई लाख ग्राम पंचायतें और 14 लाख आंगनबाड़ी हैं। आंगनबाड़ी समिति का नेतृत्व एक महिला को सौंपा जाना चाहिए, जो माँ भी हो। साथ ही अन्य अभिभावक, बुजुर्ग और पंचायत वार्ड सदस्य को मिलाकर एक उप समिति बनाई जानी चाहिए। इसमें हुई चर्चाओं को ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। गाँवों में पोषण और कामकाजी महिलाओं की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर जल्दी सुलझाया जा सकता है। दूसरे, बाल विवाह पर नियंत्रण रखकर, लड़कियों की शिक्षा को जारी रखने का काम भी पंचायत ही सबसे अच्छी तरह कर सकती हैं। [5,6]

महिलाओं को कचरा प्रबंधन, वाटर पम्प संचालन, सर्वेक्षण, बिल संग्रहण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में काम दिया जा सकता है। इससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

परिणाम

भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। भारतीय समाज में विभिन्न कालों में स्त्रियां प्रारम्भ से ही पुरुषों के अधीन रहीं हैं चाहे वह शिक्षित हों या अशिक्षित भारत में महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही इसमें युगों युगों से परिवर्तन होते रहे हैं उनकी स्थिति में वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक अनेक उतार-चढ़ाव आये हैं वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति उच्च थी उन्हें सभी अधिकार प्राप्त थे सम्पत्ति में उन्हें बराबरी का अधिकार था परिवार तथा समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त था। समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में गिरावट मध्ययुगीन काल में अधिक आयी इन परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की।

अंग्रेजी शासन काल में आने के साथ ही भारतीय सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन आने लगे। महिलाओं का पुनरोत्थान का काल ब्रिटिश काल से ही शुरू होता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सरकार द्वारा उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाने तथा उन्हें विकास की मुख्य धार में लाने हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाओं और विकासात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया गया। आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण नगरीकरण विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा के समुचित अवसर उपलब्ध कराकर परम्परागत भारत को परिवर्तित कर दिया। महिलाओं को उनके अधिकारों और दायित्वों के प्रति सजग करते हुए उनकी सोच में मूलभूत परिवर्तन लाने आर्थिक गतिविधियों में उनकी अभिरुचि उत्पन्न कर उन्हें आर्थिक-सामाजिक दृष्टि से आत्मनिर्भर और स्वावलम्बन की ओर अग्रसर करने हेतु पिछले कुछ दशकों में विशेष प्रयास किए गए। जिसके फलस्वरूप जातिप्रथा, विवाह, खानपान पर प्रतिबन्ध पर्दा प्रथा आदि के कठोर नियमों में कमी आने लगी परिणामस्वरूप महिलाओं के मूल्यों, प्रस्थिति व भूमिकाओं में भी परिवर्तन आने लगे किन्तु पूर्णतः नहीं।

यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो आज भी लोग विचारों से स्वतंत्र नहीं हैं महिलाओं के लिए उनकी सोच अभी भी पारम्परिक ही है नारी पत्नी धर्म का पालन करे सहयोगिनी बनकर पति के कार्यों में हाथ बटाये बच्चों का पालन-पोषण करे और घर परिवार सम्भाले शहरी क्षेत्रों में जहां कामकाजी विवाहित महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है साथ ही पारिवारिक भूमिका और समायोजन की समस्या भी उत्पन्न हो रही है इस उभरती हुई समस्या ने कई सामाजशास्त्रीयों ने ध्यान इस ओर आकर्षित किया। शिक्षा के प्रचार प्रसार तथा कानूनी प्रावधानों के कारण महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुए हैं इनकी सामाजिक व आर्थिक प्रस्थिति में परिवर्तन आये है।[6,7]

आज नारी जीवन के हर क्षेत्र में कदम बढ़ा रही है आज की नारी अपने कर्तव्यों को गृह है बल्कि अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति भी सजग है, तथा स्वयं के प्रति भी सजग है और अपने अधिकारों के प्रति आवाज उठाने का जज्बा रखती है कोई सिर्फ यह कहकर उसके आत्मविश्वास का को जरा भी नहीं हिला सकता कि वह एक नारी है। शिक्षा चलते ही नारी जागरूक हुई और इस जागरूकता ने नारी के कार्यक्षेत्र की सीमा को घर की चारदीवारी से बाहर की दुनिया तक फैला दिया है। शिक्षा के प्रभाव के कारण ही आज नारी अपने कैरियर के प्रति संवेदनशील है इससे जहाँ वह अपने पैरों पर खड़ी हुई वहीं आर्थिक आत्मनिर्भरता ने उसे रचनात्मक कार्यों के लिए भी प्रेरित किया है। आज नारी घर में जितना कार्य करती है उसका मोल कोई नहीं समझता पुरुष उसे महिला की इयूटी मानकर निश्चित हो जाता है। यह उस स्थिति में भी है जब महिला कमा रही है महिलाएँ ब घर से बाहर कार्य करती हैं तो उन्हें छः से दस घंटों तक बाहर रहना पड़ता है इस अवधि में उनके घर की व्यवस्था, बच्चों का पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा गृहणी के हिस्से ही आती है फिर भी नारी ने इसे बखूबी निभाया है।

कहने का तात्पर्य है कि महिलाओं की सामाजिक व पारिवारिक स्थिति का निर्धारण आज भी परिवार व परम्पराओं के द्वारा ही होता है परन्तु आज महिलाएँ जो पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल रही हैं तो उनके जीवन में परिवर्तन आना स्वभाविक है।

कामकाजी महिला शब्द का प्रयोग प्रायः नौकरी करने वाली महिला के सन्दर्भ में किया जाता है अर्थात् वे महिलाएँ जो घरों के बाहर नियमित रूप से आर्थिक व व्यवसायिक गतिविधियों में व्यस्त हैं आज के भौतिकवादी परिवेश में पत्नी का कामकाजी होना एक अनिवार्यता सी बन गयी है घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पति और पत्नी दोनों का ही कार्य करना आवश्यक हो गया है। कामकाजी महिलाओं को दोहरी भूमिकाओं को निभाना पड़ता है एक ओर पत्नी माँ, गृहणी की भूमिका दूसरी ओर नौकरी का कार्यभार इन दोनों भूमिकाओं के तनाव के कारण महिलाओं के वैवाहिक जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है।

कामकाजी महिलाओं को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ता है घरेलू एवं बाह्य अर्थात् उन्हें अपने घर परिवार, रिश्तेदार के साथ-साथ आफिस सबको ठीक से चलाना पड़ता है इस स्थिति में संघर्ष हो जाता है। एक कामकाजी महिला के सन्दर्भ में अगर हम भूमिका संघर्ष को देखें तो उसको दोनों भूमिकाओं के दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है यह सारे कर्तव्य उसे अकेले ही पूरे करने पड़ते हैं ऐसी स्थिति में भूमिका संघर्ष सम्भव है।

निष्कर्ष

कामकाजी महिलाएँ समाज के विकास में अपना योगदान दे रही हैं वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सहयोग कर रही हैं। कामकाजी महिलाएँ घर व कार्यस्थल में भलि भांति समायोजन के साथ परिवार के दायित्वों को भी निष्ठापूर्वक पूर्ण कर रही हैं।[7,8]

सुझाव-

1. कामकाजी महिलाओं के परिवार द्वारा सहयोग मिलना चाहिए।
2. कामकाजी महिलाओं को भी पुरुषों के समान सम्मान मिलना चाहिए।
3. कामकाजी महिलाओं के कार्यों की भी प्रशंसा करनी चाहिए ताकि उनका मनोबल उंचा हो।
4. महिलाओं के कार्य को पार्ट टाइम न समझकर उनके कार्य को भी पुरुषों के कार्य के समान महत्वपूर्ण समझना चाहिए।

संदर्भ

1. देसाई नीरा-आधुनिक भारत में महिलाएँ
2. कपूर प्रमिला-भारत में कामकाजी महिलाएँ
3. गुप्ता सेन पद्मिनी-भारत में कामकाजी महिलाएँ
4. गुप्ता एस0 पी0- अनुसंधान संदर्शिका, शारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद (2011)
5. कुमार सिंह अरूण- मनोविज्ञान समाजशास्त्र तथा शिक्षा में शोध विधियां (2007)
6. पवार रेनु-कार्यरत महिलाओं के पारिवारिक समायोजना का एक समाजशास्त्री अध्ययन, शोध पत्र (2017)
7. भारद्वाज कमलेश-कामकाजी महिलाओं की भूमिका एवं संघर्ष-शोध पत्र (2017)

8. डा0 बाजपेयी अनीता-प्राथमिक शिक्षिकाओं में भूमिका संघर्ष, शोध पत्र (2016)